उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-1
संख्या- 237/2015/1331/38-1-2015-02 पदोन्नति/2013
लखनऊ: दिनांक: 06 जुलाई, 2015

<u>विज्ञप्ति/पदोन्नति</u>

श्री राज्यपाल प्रादेशिक विकास सेवा के वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0 6600 में कार्यरत श्री अशोक बाबू मिश्रा, जिला विकास अधिकारी, बुलन्दशहर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ उपायुक्त/संयुक्त मिशन निदेशक/संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) (वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0 7600) के पद पर पदोन्नति के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

2- वेतनमान के अनुरूप उक्त चिन्हित तथा रिक्त पद के सापेक्ष श्री मिश्रा की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। इस बीच श्री मिश्रा अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेगे।

अरूण सिघल
प्रमुख सचिव

<u>संख्या- 237/2015/1331(1)/38-1-2015 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
(4) मण्डलायुक्त, मेरठ।
(5) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
(6) वरिष्ठ कोषाधिकारी, बुलन्दशहर ।
(7) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा- जिलाधिकारी, बुलन्दशहर ।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in